

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 6/2026 (Bank Case)

GCMS No.-2026/10

भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) जर्ने प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष गुप्ता।

- प्रार्थी /सिन्डोर क्रेडिटर

बनाम

1. M/s Sitabari Argo Producer Company Limited Proprietor Shri Deepak Kumar Jha s/o Shri Harish Kumar Jha (Borrower)
Address1: Ceoedecon Office ke samne, Mangawali Road, Shahabad, District-Baran(Raj.)325217
Address2: A-1002, Anandam Devashi City Office, Borkheda, Kota (Raj.)
Address2: G-1, 156, Argo Food Park, 1st Ranpur Industrial Area, Kota(Raj.) 325003
2. Smt. Janki w/o Sh. Laxminarayan Yadav (Director & Guarantor)
Address1: Ceoedecon Office ke samne, Mangawali Road, Shahabad, District-Baran(Raj.)325217
Address2: Village- Keshvpura Shahbad, Dist. Baran (Raj.) 325217
Address2: G-1, 156, Argo Food Park, 1st Ranpur Industrial Area, Kota(Raj.)
3. Sh. Harish Swami S/o Shri Ram Chand Swami (Director & Guarantor)
Address1: Ceoedecon Office ke samne, Mangawali Road, Shahabad, District-Baran(Raj.)325217
Address2: house no. 15, Balaji Town, Second Babita Road, Shahabad Kunhali, kota (Raj.) 325217
Address2: G-1, 156, Argo Food Park, 1st Ranpur Industrial Area, Kota(Raj.)
4. Sh. Praveen Kumar Yadav w/o Sh. Laxminarayan Yadav (Director & Guarantor)
Address1: Ceoedecon Office ke samne, Mangawali Road, Shahabad, District-Baran(Raj.)325217
Address2: Village- Keshvpura Shahbad, Dist. Baran (Raj.) 325217
Address2: G-1, 156, Argo Food Park, 1st Ranpur Industrial Area, Kota(Raj.)
5. Sh. Atul Yadav w/o Shri Ramchandra Sitra (Director & Guarantor)
Address1: Ceoedecon Office ke samne, Mangawali Road, Shahabad, District-Baran(Raj.)325217
Address2: Village- Keshvpura Shahbad, Dist. Baran (Raj.) 325217
Address2: G-1, 156, Argo Food Park, 1st Ranpur Industrial Area, Kota(Raj.)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 28.01.2026


संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.06.2022 को खाता संख्या 42715101879 में रूपये 1,97,00,000/- (अक्षरे: रूपये एक करोड, सतानवें लाख मात्र) व दिनांक 03.06.2022 को खाता संख्या 41696844083 में रूपये 1,50,00,000/- (अक्षरे: रूपये एक करोड, पचास लाख मात्र) का ऋण

इस प्रकार कुल ऋण रूपये 3,47,00,000/- (अक्षरः: रूपये तीन करोड, सैतालीस लाख मात्र) लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्री दीपक कुमार झा पुत्र श्री हरिश कुमार झा, श्रीमती जानकी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण यादव, श्री हरिश स्वामी पुत्र श्री रमेश चन्द स्वामी, श्री प्रवीन कुमार यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव एवं श्री अतुल यादव पुत्र श्री रामचन्द्र सीत्राकी एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या जी-1, 156 एग्रो फूड पार्क 1st, रानपुर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- प्लॉट संख्या जी1-158, पश्चिम में-रोड 18 मीटर चौड़ा, उत्तर में- प्लॉट संख्या जी1-157, दक्षिण में- प्लॉट संख्या जी-152 व जी 153 है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.06.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 3,17,79,753/-रूपये (अक्षरः- तीन करोड, सत्रह लाख उनहासी हजार सात सौ तिरेप्पन रूपये मात्र) दिनांक 8.09.2025 तक व से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की श्री दीपक कुमार झा पुत्र श्री हरिश कुमार झा, श्रीमती जानकी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण यादव, श्री हरिश स्वामी पुत्र श्री रमेश चन्द स्वामी, श्री प्रवीन कुमार यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव एवं श्री अतुल यादव पुत्र श्री रामचन्द्र सीत्राकी एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या जी-1, 156 एग्रो फूड पार्क 1st, रानपुर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- प्लॉट संख्या जी1-158, पश्चिम में-रोड 18 मीटर चौड़ा, उत्तर में- प्लॉट संख्या जी1-157, दक्षिण में- प्लॉट संख्या जी-152 व जी 153 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सुनाया गया।


(पीयूष सारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

